

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

विज्ञापन सं. राज.न्या.जो. / परीक्षा प्रक्रिया / अधीनस्थ न्यायालय / च.बे.क. / 2025 / 2349

दिनांक : 09/05/2025

1.	परीक्षा का नाम	राजस्थान उच्च न्यायालय, राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, राजस्थान के जिला न्यायालय एवं जिला निधिक सेवा प्राधिकरणों (तालुका निधिक सेवा समितियों एवं स्थाई लोक अदालतों सहित) में धतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (कार्यालय चपरासी/समतुल्य पद) के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती, 2025
2.	परीक्षा प्रक्रिया के नियम	राजस्थान उच्च न्यायालय कर्मचारी सेवा नियम, 2002 (यथासंशोधित) (Rajasthan High Court Staff Service Rules, 2002) (As amended) एवं राजस्थान अधीनस्थ न्यायालय (चालक एवं धतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) सेवा नियम, 2017 (यथासंशोधित) {Rajasthan Subordinate Courts (Driver and Class-IV Employees) Service Rules, 2017} (as amended)
3.	पद-नाम	धतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (कार्यालय चपरासी/समतुल्य पद)
4.	पारिवीक्षणार्थ अर्थात् धन वेतन	चर्चित अग्रणी नियमानुसार दो वर्ष की अवधि तक रुपये 12,400/- (fixed) प्रस्तावित प्रारम्भिक और पारिवीक्षणार्थ प्रशिक्षणार्थी (Probationer Trainee) के रूप में रहने।
5.	प्रारम्भिक वेतन समन्वयनपूर्वक पूर्ण करने पर वेतन	पे-मैट्रिक्स लेवल संख्या L-01 के अनुसार पे-स्केल रु. 17,700 - 56,200 (as amended by the State Government from time to time as well as in the Rules of 2002)
E	ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया	- ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया से सम्बन्धित दिशा-निर्देश उपाधित समय पर राजस्थान उच्च न्यायालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिये जायेंगे। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व दिशा-निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ ले एवं वेबसाइट को नियमित समय-अवधियों पर देखते रहें। - ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व आवेदक से अपेक्षा की जाती है कि वह राजस्थान उच्च न्यायालय कर्मचारी सेवा नियम, 2002 (यथासंशोधित), राजस्थान अधीनस्थ न्यायालय (चालक एवं धतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) सेवा नियम, 2017 (यथासंशोधित), विरतुत विज्ञापन, ऑनलाइन आवेदन करने एवं परीक्षा शुल्क जमा करने के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों (Instructions) को सावधानीपूर्वक अध्ययन कर ले जो कि राजस्थान उच्च न्यायालय की ऑफिशियल वेबसाइट http://www.hcraj.nic.in पर उपलब्ध है/ तथा समय उपलब्ध करा दिए जायेंगे। - अवेदक Online Application में तमाम आवश्यक एवं सुसंगत सूचनाएं अवश्य अंकित करें, कोई सूचना गलत या अधूरी भरणे पर आवेदक को आवेदन रद्द कर तीन महीने में प्रवेश नहीं दिया जाएगा और/या किसी भी स्तर पर उसकी आगामीत रद्द कर दी जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी।

9.06.2025

7.	आवेदन करने की समय सीमा	दिनांक 27.08.2025 (शुक्रवार) को दोपहर 01:00 से दिनांक 26.07.2025 (शनिवार) को रात 11:59 बजे तक।		
	ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने की समय सीमा	दिनांक 27.08.2025 (शुक्रवार) को दोपहर 01:00 से दिनांक 27.07.2025 (रविवार) को रात 11:59 बजे तक।		
	ऑनलाइन आवेदन (Online Application) करने पर ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने की उपर्युक्त समय सीमा से परन्तु धोखा या त्रुटि गिराई हो जाएगी। आवेदकों को सावधानी दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन की अन्तिम दिनांक व समय का इन्तजार किए बिना यथाशीघ्र निर्धारित परीक्षा शुल्क अदा कर ऑनलाइन आवेदन करें। ई मित्र बिजनेस/नागरिक सेवा केन्द्र (C.S.C.) तथा नेट-बैंकिंग (Net-Banking) या डेबिट/क्रेडिट कार्ड के माध्यम से निर्धारित परीक्षा शुल्क को राशि जमा की जा सकती है।			
8.	परीक्षा का स्थान	राजस्थान राज्य न्यायालय द्वारा परीक्षा राजस्थान के जिला मुख्यालयों पर आयोजित किए जाने की व्यवस्था है तथा आवश्यकता होने पर उपखण्ड एवं तहसील मुख्यालयों पर भी आयोजित की जा सकती है। परीक्षा की दिनांक व माह के संबंध में सूचना यथाशीघ्र समय पर पृथक् से प्रसारित की जाएगी। परीक्षा आयोजित किए जाने वाले स्थान माह एवं दिनांक में परिवर्तन करने का अधिकार राजस्थान उच्च न्यायालय के पास सुरक्षित है।		
9.	परीक्षा शुल्क (Examination Fee):-			
	राजस्थान वर्ग/अन्य गैरछात्र वर्ग (कॉपीलेटर श्रेणी)/अन्य विद्यार्थी वर्ग (कॉपीलेटर श्रेणी)/अन्य राज्य के आवेदक	राजस्थान राज्य के अन्य विद्यार्थी वर्ग (नॉन कॉपीलेटर श्रेणी)/वैदेशिक रूप से कमजोर वर्ग के अतिरिक्त	राजस्थान राज्य के अनुभूति नारी/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति के आवेदक/भूपूर्व सैनिक	देवतागज
	रुपये 850/-	रुपये 550/-	रुपये 450/-	शून्य
	नोट:- (i) परीक्षा शुल्क की वसूली से संबंधित किसी बात पर विचार नहीं किया जाएगा और न ही परीक्षा शुल्क किसी अन्य परीक्षा हेतु आरक्षित किया जायेगा, जब तक कि भर्ती/निर्भरता प्राधिकारी द्वारा विज्ञापन ही निरस्त नहीं कर दिया जाता। (ii) वसुंधा श्रेणी वर्ग परीक्षा, 2019 के अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क से उनके द्वारा पूर्व में अदा की गई परीक्षा शुल्क राशि के समान छूट, उनकी स्व-प्रमाणित घोषणा एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र में उनके द्वारा भरे गए विवरणों यथा पूर्व की आवेदन संख्या व संदत की गई फीस इत्यादि के आधार पर प्रदान की जाएगी और यह स्पष्ट किया जाता है कि स्व-प्रमाणित घोषणा में तथ्य के छिपाए जाने अथवा मिथ्या तथ्य प्रकट किए जाने पर अभ्यर्थी का आवेदन-पत्र बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त कर दिया जाएगा एवं इस सम्बन्ध में किसी भी व्यवहार पर विचार नहीं किया जाएगा। (iii) देवतागज अभ्यर्थियों को उल्लेख वाली परीक्षा, 2025 में आवेदन करने हेतु परीक्षा शुल्क 'शून्य' रखा गया है किन्तु वसुंधा श्रेणी वर्ग परीक्षा, 2019 के देवतागज अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने पर पूर्व में संदत परीक्षा शुल्क की वापसी (refund) नहीं की जाएगी।			
10.	रिक्त पदों का विस्तृत विवरण			
	जिला न्यायालयों एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों (ताजुल निमित्त लोक समितियों एवं स्थाई लोक अदालतों सहित) में वसुंधा श्रेणी कर्मचारी (कार्यालय उपसारी/सामान्य पद) के रिक्त पदों की संख्या निम्न संलग्नकानुसार है :-			
	A. राजस्थान उच्च न्यायालय	—	संलग्नक — 1	
	B. राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी	—	संलग्नक — 2	

09.06.2025

- C. राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण :- संलग्नक - 3
- D. जिला न्यायालयों हेतु :-
- गैर-अनुसूचित क्षेत्र (Non TSP Area) :- संलग्नक - 4
 - अनुसूचित क्षेत्र (TSP Area) :- संलग्नक - 5
- E. जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों (तालुका विधिक सेवा समितियों एवं स्थाई लोक अदालतों सहित) हेतु -
- गैर-अनुसूचित क्षेत्र (Non TSP Area) :- संलग्नक - 6
 - अनुसूचित क्षेत्र (TSP Area) :- संलग्नक - 7

नोट:

- उपसूक्त रिक्त पद की भरती में भर्ती प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय नियमानुसार कर्मों या भर्तीकरणों को रोक दिया जा सकता है, जिसके लिए पुनः विज्ञापन/शुद्धिपत्र जारी नहीं किया जाएगा।
- ऐसी भी हेतु विज्ञापित पद पर अभ्यर्थियों का चयन करना राज्य अतिरिक्त शिफ्टों के प्रादुर्भाव होने पर, अतिरिक्त अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विज्ञापित पदों के 50 प्रतिशत से अधिक, उपसूक्त नामांकितों का चयन भी किया जा सकता है।
- अभ्यर्थियों की परीक्षाएं चयन सूची तैयार करते समय विज्ञापित पदों के 50 प्रतिशत की सीमा तक उपसूक्त (Quota) अभ्यर्थियों की प्रवृत्ति पर आधारित सूची (Reserve List) भी तैयार की जा सकती है।
- सम्बन्धित अभ्यर्थियों की राजस्थान राज्य न्यायालय, राजस्थान राज्य न्यायिक आयोग, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों (तालुका विधिक सेवा समितियों एवं स्थाई लोक अदालतों सहित) में नियुक्ति हेतु अनुसूचित क्षेत्रों के द्वारा दिये गये विज्ञापनों के अनुसार की जा सकती है, जो कि अभ्यर्थियों के कुल प्राप्ति के आधार पर तैयार की गई मेरिट लिस्ट के अनुसार होगी।
- नियुक्ति के संबंध में सम्बन्धित अधिकार राजस्थान उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर।

11. अनुसूचित क्षेत्रों (TSP Areas) हेतु आरक्षित पदों के सन्दर्भ में :-

- राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त जनजातीय उप जातजाति क्षेत्रों (TSP Areas) के लिए शिफ्टों का प्रस्ताव सरकार द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातीय उप जातजाति आयोग के अनुसार होगा।
- जिला न्यायालय, उपायुक्त प्रशासन एवं लोक आवास के अनुसूचित क्षेत्रों हेतु अभ्यर्थियों का चयन करके प्रत्येक जिले को एक आवास हेतु एक स्टाफ का एक स्वतंत्र इकाई बनाई जाएगी।
- इन अनुसूचित क्षेत्रों में 5% पद अनुसूचित जाति एवं 45% पद अनुसूचित जनजाति के योग्य अभ्यर्थियों द्वारा भरे जाएंगे। अनुसूचित क्षेत्रों में 50% पद पर किसी भी जाति का वर्ग का किसी अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों का, योग्यता के आधार पर स्वीकृति के तहत में नियमानुसार चयन किया जाएगा।
- अनुसूचित क्षेत्रों के एक जिले में उपसूक्त शिफ्टों को नहीं समूह 45% स्थानीय अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर समूह अनुसूचित क्षेत्रों का एक इकाई के रूप में मानकर अन्य जिलों में समूह अनुसूचित जनजाति के योग्य अभ्यर्थियों से ऐसा शिफ्टा परी जा सकती है।
- "अनुसूचित क्षेत्रों के अभ्यर्थी" का ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो -
 - (क) 1 जनवरी 1970 के पूर्व से अनुसूचित क्षेत्रों का राजस्थानी निवासी है
 - (ख) यदि उसका जन्म 1 जनवरी 1970 के बाद हुआ है तो उसके माता-पिता 1 जनवरी 1970 के पूर्व से अनुसूचित क्षेत्रों के राजस्थानी निवासी रहे हैं और वह अपने जन्म से अनुसूचित क्षेत्रों का राजस्थानी निवासी है
 - (ग) उन व्यक्तियों (क) या (ख) के अन्तर्गत आने वाले किसी व्यक्ति का विवाह द्वारा सम्बंधित है और वह अपने विवाह के बाद से अनुसूचित क्षेत्रों का राजस्थानी निवासी है।

09.06.2025

12 विभिन्न वर्गों (Various Categories) के आरक्षण के सन्दर्भ में:-

- महिलाओं (विधवा एवं विधिवन-विवाह महिला सहित) एवं भूतपूर्व सैनिकों हेतु आरक्षित पदों का आरक्षण प्रत्येकवार रिक्त पदों के विरुद्ध क्षैतिज (Horizontal against Categorywise vacancies) रूप से होगा।
- विधवांगजन हेतु आरक्षित पदों का आरक्षण कुल रिक्त पदों के विरुद्ध क्षैतिज (Horizontal against total vacancies) रूप से होगा।
- सकृष्ट खिलाड़ियों हेतु आरक्षित पदों का आरक्षण कुल रिक्त पदों के विरुद्ध क्षैतिज (Horizontal against total vacancies) रूप से होगा।

सकृष्ट खिलाड़ियों से ऐसे खिलाड़ी अभिप्रेत हैं जो राजस्थान के मूल निवासी हैं और निम्नलिखित :-

- तीने ई मई सत्रणी में स्वयं संवत् 1972 में एलिजित अन्तर्राष्ट्रीय खेल राश्व द्वारा आगाडित सारणी क सत्रण संवत् 73 में एलिजित खराखूद क किरा अन्तर्राष्ट्रीय दूरगोल्ड/चैम्पियनशिप में व्यकिश या टीम स्रद्धा में शालीन टीम का प्रतिनिधित्व किया है।

सारणी

क्र.सं.	अन्तर्राष्ट्रीय खेल संस्था	दूरगोल्ड/चैम्पियनशिप का नाम
1.	अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति (आईओसी)	ओलम्पिक गेम्स (ग्रीष्मकालीन)
2.	एशिया ओलम्पिक परिषद् (ओसीए)	एशियन गेम्स
3.	दक्षिण एशियन ओलम्पिक परिषद् (एसएसओसी)	दक्षिण एशियन गेम्स, जो सन्मान्यता स्वरूप गेम्स के रूप में जाने जाते हैं।
4.	राष्ट्रमंडल खेल परिषद (सीजीएफ)	राष्ट्रमंडल गेम्स
5.	अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति का राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय खेल परिषद	विश्व कप/विश्व चैम्पियनशिप
6.	एशिया ओलम्पिक परिषद् से सम्बद्ध एशियन खेल परिषद	एशियन चैम्पियनशिप
7.	अन्तर्राष्ट्रीय स्कूल खेल परिषद (आईएसएसएफ)	अन्तर्राष्ट्रीय स्कूल गेम्स/चैम्पियनशिप
8.	एशियन स्कूल खेल परिषद (एसएसएफ)	एशियन स्कूल गेम्स/चैम्पियनशिप

या

- स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया द्वारा आयोजित किसी खेलकूद के किसी स्कूल नेशनल गेम्स में व्यकिश या टीम स्रद्धा में गेडत जाता है।

या

- इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन या इन्डियन सन्मद नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन (एसएसएफ) द्वारा आयोजित किसी खेलकूद के किसी राष्ट्रीय दूरगोल्ड/चैम्पियनशिप में व्यकिश या टीम स्रद्धा में गेडत जाता है।

या

- एसोसिएशन ऑफ इण्डियन यूनिवर्सिटीज द्वारा आयोजित अथवा इण्डिया इन्टरयूनिवर्सिटी के किसी खेलकूद में व्यकिश या टीम स्रद्धा में गेडत जाता है।

या

- इण्डियन आलम्पिक एसोसिएशन/देश ओलम्पिक कन्द्री ऑफ इण्डिया या इन्डियन सन्मद नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा आयोजित किसी खेलकूद की नेशनल चैम्पियनशिप/देश नेशनल चैम्पियनशिप या नेशनल गेम्स/नेशनल गेम्स में व्यकिश या टीम स्रद्धा में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया है।

- क्षैतिज (Horizontal): आरक्षण न निम्न श्रेणी (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग/अधिक रूप से कमजोर वर्ग/सामान्य वर्ग) का आवेदन प्रस्तुत होगा, परा सम्प्रति श्रेणी जिसका वह आवेदन है, में सम्प्रति किया जाएगा।

- राजस्थान राज्य की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/महिलाएं (विधवा एवं विधिवन विवाह महिला सहित)/भूतपूर्व सैनिक/विधवांगजन/सकृष्ट खिलाड़ियों के लिए आरक्षित पदों हेतु मात्र एक संपूर्ण अभावी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को राजस्थान उच्च न्यायालय कनिचरी सेवा विनियम 2002 (संशोधित) एवं राजस्थान अधीनस्थ न्यायालय (चानक एवं सतुर्थ श्रेणी वर्गचर्चा) सेवा विनियम 2017 (संशोधित) में विहित प्रक्रिया एवं रीति से भर जाएगा।

- सामान्य वर्ग के पदों के विरुद्ध चयन हेतु आरक्षित वर्ग के कैंडिडेटों की आवेदन मात्र होने निम्नलिखित परीक्षा सत्र के अतिरिक्त आरक्षित श्रेणी के लिए वेद केतों अन्य विनियम का लक्ष नहीं जाता है।

- राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की प्रायोगिक श्रेणी के आवेदन का राजस्थान राज्य से निम्न सत्रों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्गों (प्रयोगिक एवं गोप)

04.06.2021

	क्रीमीलेयर)/अति पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर एव नॉन क्रीमीलेयर)/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदक/भूतपूर्व सैनिक/सकृप्य खिलाड़ी सामान्य वर्ग के अन्तर्गत आते हैं। अनुभूतिगत जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/भूतपूर्व सैनिक/असकृप्य खिलाड़ी हेतु अर्हता पदा का लाभ राजस्थान राज्य के गूल निवासियों के ही देय है। उक्त श्रेणी के अन्य राज्य के आवेदकों को उक्त लाभ देय नहीं होने के कारण उन्हे सामान्य वर्ग में आचार्य ही आवेदन करना होगा। viii. राजस्थान राज्य के बाहर अन्य राज्य की महिला जो विवाहोपरांत राजस्थान राज्य की गूल निवासी बन जाती है, उन्हें सामान्य वर्ग के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा।
12	विभिन्न वर्गों (Various Categories) के प्रमाण-पत्र को सन्दर्भ में :- i. अनुभूतिगत जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग में आरक्षण हेतु तक्षम शोधकर्त्री द्वारा चिह्नित प्रारूप में राज्य की सेवाओं के लिए नियमानुसार जारी किया गया वैध जाति प्रमाण-पत्र (Caste Certificate) प्रस्तुत करना होगा। नोट:- अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग में जाति प्रमाण-पत्र एक वर्ष के लिए मान्य होगा, लेकिन एक बार कीसमतार में नहीं होने का प्रमाण पत्र जारी होने के उपरान्त अगर अन्वेषी आगामी वर्ष में भी क्रीमीलेयर में नहीं है तो ऐसी स्थिति में अन्वेषी द्वारा चिह्नित प्रारूप में सत्यापित शपथ-पत्र पेश करने पर पूर्व में जारी प्रमाण-पत्र को ही मान लिया जाएगा, ऐसा अधिकतम तीन वर्ष तक किया जा सकता है। परन्तु उक्त तीन वर्ष की अवधि में यदि अन्वेषी के क्रीमीलेयर में होने का कोई प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है तब शपथ पत्र पर भी पूर्व में क्रीमीलेयर में नहीं होने का प्रमाण-पत्र का वैध नहीं माना जाएगा। अर्थात् वर्तमान सर्वे परीक्षा के सम्बन्ध में, चूँकि आवेदन करने की अन्तिम तिथि दिनांक 26/07/2025 है। अतः इस प्रार्थ में आरक्षण हेतु दिनांक 27/07/2024 से 26/07/2025 की समयवधि में जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। लेकिन यदि अन्वेषी को दिनांक 27/07/2022 से 26/07/2024 की समयवधि में क्रीमीलेयर में नहीं होने का प्रमाण पत्र एक बार जारी हो चुका है और अन्वेषी आगामी वर्ष में भी क्रीमीलेयर में नहीं है तो ऐसी स्थिति में अन्वेषी द्वारा चिह्नित प्रारूप में सत्यापित शपथ-पत्र पेश करने पर दिनांक 27/07/2022 से 26/07/2024 की समयवधि में जारी उक्त प्रमाण पत्र को ही उपयुक्त मान लिया जाएगा। ii. विद्यमान या बी श्रेणी में आने वाले आवेदकों को राजस्थान राज्य स्वास्थ्य द्वारा भर्त होने पर अपनी निशक्तता के तथ्य में सन्निहित सरकार (Appropriate Government) द्वारा प्राधिकृत प्रमाणन प्राधिकारी (Authorized Certifying Authority) द्वारा चिह्नित प्रारूप में जारी निशक्तता प्रमाण-पत्र (Certificate of Disability) प्रस्तुत करना होगा। इस तथ्य में प्रदत्त सुसंगत विवरण के अनुसार निशक्तता प्रमाण पत्र धारक आवेदक ही विद्यमानता हेतु आर्दरेट नोट के विरुद्ध चयन एवं नियुक्ति के लिए पात्र माना जाएगा। iii. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अन्वेषी की दश में तक्षम प्राधिकारी द्वारा चिह्नित प्रारूप में नियमानुसार जारी किया गया पैग प्रमाण-पत्र (Income & Asset Certificate) प्रस्तुत करना होगा। नोट:- राज्य के लिये जारी Income & Asset Certificate एक वित्तीय वर्ष के लिये मान्य होगा। एक बार उक्त Income & Asset Certificate जारी होने के उपरान्त अगर अन्वेषी आगामी वित्तीय वर्ष में भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के चिह्नित मापदण्डों के अनुसार पात्र है, तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा चिह्नित प्रारूप में सत्यापित शपथ पत्र पेश करने पर पूर्व में जारी Income & Asset Certificate को ही उपयुक्त मान लिया जाएगा। ऐसा अधिकतम तीन वित्तीय वर्ष के लिये किया जा सकता है। अर्थात् वर्तमान सर्वे परीक्षा के सम्बन्ध में, चूँकि आवेदन करने की अन्तिम तिथि दिनांक 26/07/2025 है। अतः इस प्रार्थ में आरक्षण हेतु दिनांक 01/04/2023 से 26/07/2025 की समयवधि में जारी Income & Asset Certificate प्रस्तुत करना होगा। लेकिन यदि अन्वेषी को दिनांक 01/04/2023 से 31/03/2025 की समयवधि में एक बार Income & Asset Certificate जारी हो चुका है और अन्वेषी आगामी वित्तीय वर्ष में भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के चिह्नित मापदण्डों के अनुसार पात्र है, तो ऐसी स्थिति में अन्वेषी द्वारा चिह्नित प्रारूप में सत्यापित शपथ पत्र पेश करने पर दिनांक 01/04/2023 से 31/03/2025 की समयवधि में जारी उक्त प्रमाण पत्र (Income & Asset Certificate) को ही उपयुक्त मान लिया जाएगा। iv. भूतपूर्व सैनिक का श्रेणी में आने वाले आवेदकों को राजस्थान राज्य स्वास्थ्य द्वारा, कक्षासम, भर्त होने पर

09.06.2025

	अपने निगमन द्वारा जारी मैपिंग नंबर/एनओसी आदि संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने अनिवार्य हैं। कोई व्यक्ति जो अपनी देशी जमीन खरीदने के पश्चात् संजिवित हो गया/गयी है या जगती एच. टन के भीतर-भीतर सेवानिवृत्त हो रहा/रही है परन्तु उसने सक्षम अधिकारी से विरासत प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त कर लिया है, यह के लिए अपेक्षा करने का पात्र होगा/होगी किन्तु पदपत्रों से पूर्व उसे संशुद्धि निगुणों प्राधिकारी के सामने सेवानिवृत्ति का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई भूतपूर्व सैनिक निरक्षर प्रमाण-पत्र के आधार पर अपेक्षा करता/करती है और वस्तुविक्रय संयोजन से पूर्व स्वीकृत हो जाता/जाती है तो निवृत्ति प्राधिकारी पद प्रदान कालागो के शिक्षित कर सकेगा और उसे उसकी सेवानिवृत्ति के जो गहर्त किसी कालागो के भीतर-भीतर पद प्रदान करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा। अनपति प्रमाण-पत्र के आधार पर आवेदन किए जाने के पश्चात् सेवानिवृत्ति के प्रमाण के प्रत्युत्तर के लिए 1 वर्ष की अवधि को गणना आवेदन पत्र की अंतिम तिथि से की जाएगी। v. भती हेतु जगती को श्रेणी के समय में उसकी पात्रता का गुणांकन आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी प्रमाण पत्र के आधार पर किया जाएगा। परन्तु, अन्य पिछड़ा वर्ग, उच्च पिछड़ा वर्ग एवं अधिक स्तर से जगती वर्ग के अभ्यर्थी द्वारा, यदि किसी कारणों से ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो ऐसे अभ्यर्थी द्वारा इस आशय का एक शपथपत्र देना होगा कि वह आवेदन की अंतिम तिथि को साबित करने की मात्रा रखता था तथा यह सूचना प्राप्त पत्र जाने पर उसकी निवृत्ति निरक्षर की जा सकती, ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि के बाद जारी प्रमाण-पत्र को ही अपेक्षा मान लिया जाएगा। vi. अनुश्रुति निति एवं अनुश्रुति जनजाति की जनजाति महिला अभ्यर्थी को अतिरिक्त प्रमाण का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम व निवास स्थान के आधार पर डिस्ट्रिक्ट प्रमाण व निगमद्वारा जारी दिये जाते प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि के नाम व निवास स्थान के आधार पर जारी जति प्रमाण पत्र नष्ट नहीं होगा। vii. अन्य पिछड़ा वर्ग एवं उच्च पिछड़ा वर्ग की विवाहित महिला अभ्यर्थी को अतिरिक्त प्रमाण का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर डिस्ट्रिक्ट प्रमाण व निगमद्वारा जारी दिये जाते प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी जति प्रमाण-पत्र नष्ट नहीं होगा। viii. विधवा महिला श्रेणी में आश्रय का लाभ ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक ऐसे अभ्यर्थी के पति की मृत्यु हो जाने के पश्चात् में राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी मृत्यु सर्टिफिकेट (Death Certificate) प्रस्तुत करने पर ही देव होगा। ix. विच्छिन्न विवाह महिला (Divorced Woman) श्रेणी में आश्रय का लाभ ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक ऐसे अभ्यर्थी का उसके पति व विवाह-विच्छेद (Divorce) हो जाने का प्रमाण (Proof) प्रस्तुत करने पर ही देव होगा। x. ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक विवाह/विच्छिन्न विवाह महिला वर्ग में आवेदन महिला द्वारा आवेदन करने की अंतिम तिथि के पश्चात् पुनर्विवाह कर लिया जाता है तो भी उसे विवाह/विच्छिन्न विवाह महिला वर्ग का लाभ देव जाएगा। यदि आवेदन का विवाह विच्छेद सम्बन्धी प्रमाण/पत्र माननीय न्यायालय व निवारण/लोक है एवं उसके पति नहीं हूँ है तो विच्छिन्न विवाह महिला वर्ग का लाभ देव नहीं होगा। xi. विच्छिन्न/विच्छिन्न विवाह महिला वर्ग को महिला को ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक पुनर्विवाह नहीं किए जाने एवं विवाह/विच्छिन्न विवाह महिला वर्ग में होने सम्बन्धी प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।
14.	महत्वपूर्ण नोट (Important Notes) – राजस्थान राज्य न्यायालय, राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (मालुम विधिक सेवा समितियों एवं खाई लोक अदालत समितियों) को विच्छिन्न के विच्छिन्न राज्य अभ्यर्थियों की पदना हेतु संस्थावार (Institute-wise) अनुसूची संस्थाओं उनके द्वारा जयन्त प्राप्ति के अनुसार किसी एक संस्था हेतु की जाएगी जो कि अभ्यर्थियों द्वारा लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में अंतिम कुल प्रतीकों (Total aggregate marks) के आधार पर तैयार की गई मेरिट लिस्ट के अधीन रहेगी।

09.06.2022

	• जिला न्यायालय/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की विनियमों के विरुद्ध अपन हेतु अप्यारिजों को, महासभा, लड़े जाने पर, लड़े जिला न्याय क्षेत्रों (जिलों के भाग) में से किसी पात्र जिला न्यायक्षेत्रों का, प्राथमिकतापूर्वक चयन करना होगा। • प्राथमिकतापूर्वक पात्र जिला न्यायक्षेत्रों में चयन नहीं होने की स्थिति में गरीब प्राधिकरण ऐसे अन्यथा का नाम किसी भी जिला न्यायक्षेत्र में नियुक्ति हेतु अनुश्लेषित कर लेंगे, जिसमें वह लड़ेंगे। • गैर अनुसूचित क्षेत्र (Non-TSP Areas) के आवेदक जिलों का चयन करते समय अनुसूचित क्षेत्र (TSP Areas) के जिलों का चयन नहीं कर सकते। • अनुसूचित क्षेत्र (TSP Area) के लिए पदों के लिये केवल राजस्थान राज्य के इसी रुसधित अनुसूचित क्षेत्र (TSP Area) के स्तरों पर निवासी ही आवेदन कर सकते। • अनुसूचित क्षेत्र (TSP Area) के आवेदक ऑनलाइन आवेदन करते समय अनुसूचित क्षेत्र (TSP Area) के निवासी होने के विकल्प का स्पष्ट रूप से चयन करें। • अनुसूचित क्षेत्र (TSP Area) के निवासी आवेदक, नियुक्ति के लिये जिलों का चयन करते समय अपने अनुसूचित क्षेत्र (जहाँ के वे स्थानीय निवासी हैं) को अनिवार्य रूप से प्रथम प्राथमिकता के रूप में चयन करें, नवस्थित किन्हीं अन्य गैर-अनुसूचित क्षेत्र (Non-TSP Area) के जिला न्यायक्षेत्रों का चयन कर सकते हैं। परन्तु ऐसे अप्यारिजों का गैर अनुसूचित क्षेत्र में चयन/नियुक्ति तक क्षेत्र ही गेरित किया है अप्यारिजों के लिये। • अनुसूचित क्षेत्र (TSP Area) के निवासी आवेदक द्वारा अन्य अनुसूचित क्षेत्र का प्रथम प्राथमिकता के रूप में चयन नहीं करने की स्थिति में उनके आवेदन पर अनुसूचित क्षेत्र के पदों के लिये विचार नहीं किया जाएगा। • किसी एक अनुसूचित क्षेत्र (TSP Area) के निवासी आवेदक, किसी अन्य अनुसूचित क्षेत्र का प्रथम प्राथमिकता के रूप में चयन नहीं कर सकते।
15	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता (Minimum Academic Qualification):— (i) माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य किसी बोर्ड से सैकण्डरी, और (ii) देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का व्यावहारिक ज्ञान और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान।
16	शारीरिक उपयुक्तता (Physical Fitness) :- आवेदक का मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और लड़ने किसी प्रकार का ऐसा कोई मानसिक रूप शारीरिक नुस्स नहीं होना चाहिए, जिससे सेवा के सदस्य के रूप में उसके ऊर्तकों का दलनापूर्वक चयन करने में बाधा आने की संभावना है। आवेदक के चयन होने की स्थिति में लड़ सकने हार इस प्रमाणन के लिए अधिसूचित किसी विधिकता प्राधिकरणों का इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।
17	राष्ट्रियता (Nationality) - सेवा में नियुक्ति के लिए अप्यारिजों के लिए यह आवश्यक है कि वह :- (क) भारत का नागरिक हो (A citizen of India); या (ख) नेपाल का नागरिक हो (A citizen of Nepal); या (ग) भूटान का प्रजाजन हो (A subject of Bhutan); : परन्तु- प्रथम (ख) और (ग) से सम्बन्धित अप्यारिजों, यह करण होगा किन्तु वह में भारत सरकार द्वारा पत्रावा का प्रमाण प्रदा दिया गया है।
18	आयु (Age):— निर्धारित यह कर सीधी भर्ती का कोई अप्यारिज आवेदन की पात्रता के लिए निम्न अधिन आदेश का टीका नवस्थित आने वाली जनवरी के प्रथम दिन (1 जनवरी, 2026) को 18 वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ होना चाहिए और 40 वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ नहीं होना चाहिए।

09.06.2025

परन्तु :-

- (i) उपर्युक्त उल्लेखित ऊपर की आयु सीमा को
 - (क) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, तथा पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष आरक्षण के मामले में 5 वर्ष तक विधित किया जायेगा।
 - (ख) सामान्य वर्ग एवं आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग की महिला आरक्षितियों के मामले में 5 वर्ष तक विधित किया जायेगा।
 - (ग) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग की महिला आरक्षितियों के मामले में 10 वर्ष तक विधित किया जाएगा।
- (ii) विवाह और विविध विवाह महिलाओं (ग्लाइडिंग) के मामले में कोई ऊपरी आयु सीमा नहीं होगी।
- (iii) रिजर्वेटेड तथा रिजर्वेटेड स्थानों में स्थानांतरित रक्षा सेवा कर्मियों हेतु ऊपर की आयु सीमा 50 वर्ष होगी।
- (iv) उपर्युक्त ऊपरी आयु सीमा ऐसे भूतपूर्व कर्मी के मामले में लागू नहीं होगी, जो नववीन सेवाशर्तों के तहत सेवा कर चुका था और नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था। ऐसे अभ्यर्थियों को सरकार के अधीन किसी नए पर अधिकारी रूप से सेवा रखादिन करने का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।
- (v) नववीन श्रेणी कर्मचारी सेवा में उच्चतम स्तर से नियुक्त व्यक्तियों को यदि वे प्राथमिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे, आयु सीमा में ही समाप्त होगी, यदि उन्होंने आयु सीमा पार कर ली तो और उन्हें दो अपर तक दिने जायेंगे।
- (vi) ऐसे भूतपूर्व कर्मी के मामले में, उपर्युक्त ऊपरी आयु सीमा का उपाय द्वारा भुगतान गई कर्मचारी की अवधि के बराबर की कालावधि तक विधित किया जायेगा, यदि वह सेवाशर्तों के तहत अधिकारी का नहीं था और नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था।
- (vii) कर्मी अनुदेशक के मामले में उपर्युक्त ऊपरी आयु सीमा का उपाय द्वारा राष्ट्रीय बैंड के तहत से की गयी सेवा के बराबर की कालावधि तक विधित किया जायेगा और यदि परिणामिक आयु विधि अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो तो उन्हें विधित आयु सीमा में समाप्त जायेगा। ऐसे अभ्यर्थियों को कर्मी अनुदेशक के रूप में राष्ट्रीय बैंड के तहत में प्रवेश की गयी कुल सेवा अवधि का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।
- (viii) निर्भर आयु कर्मचारी प्राप्त अधिकारियों को एक लघु सेवा कर्मचारी प्राप्त अधिकारियों को सेवा से निर्भर आयु के प्रस्ताव जब वे सीटी भर्ती के लिए अर्थात् वे समस्त उपस्थित हो आयु सीमा में समाप्त जायेगा यदि उन्होंने आयु सीमा पार कर ली है, यदि वे सेवा में कर्मचारी प्रवेश करने के समय आयु सीमा की पूर्ति से पात्र थे।
- (ix) भूतपूर्व सैनिक के मामले में ऊपरी आयु सीमा को 15 वर्ष तक विधित किया जाएगा। परन्तु यह कि यदि 15 वर्ष की शिक्षितता के बराबर अनुभव आयु 50 वर्ष से अधिक हो, तो ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष समाप्त जायेगी।
- (x) यदि कोई उच्चतम सीटी भर्ती के लिए, एक सेवा वर्ष न केवल इसी कार्य नहीं की गयी थी अपनी आयु के संबंध में इकाई या तो उसे एक आगामी भर्ती के लिए पात्र समझा जायेगा यदि वह 3 वर्ष से अधिक के द्वारा अधिकार्य या/को नहीं हुआ/हुई है। अब अभ्यर्थियों को, राजस्व उद्यम चलायन कर्मचारी सेवा नियम 2002 (व्यावसायिक) के नियम 5(6) एवं राजस्व अधिनियम नियमलय (मानव एवं नववीन श्रेणी कर्मचारी) सेवा नियम, 2017 (व्यावसायिक) के नियम 13 (x) में वर्णित प्राधान्य के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में अधिकतम 3 वर्ष की शिक्षितता प्रदान की जाएगी।
- (xi) उपर्युक्त आयु सीमा में शिक्षितता केवल एक श्रेणी हेतु ही अनुज्ञेय होगी।
- (xii) विवाह एवं अभ्यर्थियों के मामले में ऊपरी आयु सीमा को 5 वर्ष तक विधित किया जाएगा। यह

05.06.2025

	राजस्थान उच्च न्यायालय कर्मचारी सेवा नियम 2002 (संशोधित) एवं राजस्थान अधीनस्थ न्यायालय (बालक एवं प्रतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) सेवा नियम, 2017 (संशोधित) में चैम्पियन श्रेणी के पूर्व में प्रदत्त अनुसूची में शिक्षितता के अतिरिक्त होगी।
19	चरित्र (Character) :- सेवा में सीधी भर्ती के अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए जो उसे सेवा में नियोजन के लिए अर्हित (Qualify) करे। अभ्यर्थी को :- - एक सच्चरित्रता प्रमाण-पत्र (Good Character Certificate) जो उस पेशवादेवालय, महाविद्यालय या विद्यालय, जिनमें उसने अंतिम बार अध्ययन किया है, के प्रधानाचार्य/अकादमी अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो, प्रस्तुत करना होगा एवं - दो सच्चरित्रता प्रमाण-पत्र जो आवश्यक प्रस्तुत करने की तारीख से 6 माह से अधिक पूर्व के लिखे हुए न हों, ऐसे दो उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रस्तुत करने होंगे, जो उससे विद्यालय महाविद्यालय या विद्यालय से सम्बन्धित न हों एव उसके सम्बन्धी न हों।
20.	नियुक्ति के लिए निरर्हताएं (Disqualifications for Appointment) :- - कोई पुरुष/महिला अभ्यर्थी जिसके एक से अधिक जीवित पत्नियां/पति हैं, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी। - कोई भी महिला अभ्यर्थी, जिसका वैवाहिक संबंध किसी ऐसे व्यक्ति से हुआ हो जिसके पहले न कोई जीवित पत्नी हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगी। - कोई भी विवाहित अभ्यर्थी, सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/होगी, यदि उसने अपने विवाह के समय कोई दहेज स्वीकार किया था। स्पष्टीकरण—इस नियम के प्रयोजन के लिए दहेज का नहीं अर्थ है जो दहेज प्रतिष्ठान अधिनियम, 1961 (1961 का संसदीय अधिनियम सं 28) में दिया गया है। (क) परन्तु ऐसा कोई भी अभ्यर्थी, जिसके राजस्थान उच्च न्यायालय कर्मचारी सेवा नियम, 2002 (संशोधित) एवं राजस्थान अधीनस्थ न्यायालय (बालक एवं प्रतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) सेवानियम 2017 (संशोधित) के प्रयोज्य होने की तिथियों की या उसके प्रदान होने से अधिक संतानों से, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा; (ख) परन्तु जो से अधिक संतान वाला व्यक्ति जब तक नियुक्ति के लिए निर्धारित नहीं समझा जाएगा जब तक उसकी संतानों की उस संख्या में उक्त नियम 2002 एवं 2017 के प्रयोज्य होने की तिथि को बढ़ाएगी नहीं होगी है, (ग) परन्तु यह और कि जहां किसी अभ्यर्थी के पूर्ववर्त प्रसव से एक ही संतान है किन्तु गश्चातुपत्नी किसी एकल प्रसव से एक से अधिक संतानों पैदा हो जाती है जहां संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय इन प्रकार पैदा हुई संतानों को एक इकाई समझा जाएगा, (घ) परन्तु यह भी कि किसी अभ्यर्थी की संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान को नहीं गिना जाएगा जो पूर्ण के प्रसव से पैदा हुई हो और निर्णयित से प्राप्त हो; (ङ) परन्तु यह और भी कि ऐसा कोई अभ्यर्थी जिसने पुनर्विवाह किया है जो किसी निधि के विरुद्ध नहीं है और वह ऐसी किसी पुनर्विवाह के पूर्व इन सेवा नियम के अधीन नियुक्ति के लिए निर्धारित नहीं है तो उसे निर्धारित नहीं किया जाएगा यदि एसी पुनर्विवाह से एकल प्रसव द्वारा किसी संतान का जन्म हुआ हो। नोट—अभ्यर्थी को राजस्थान उच्च न्यायालय राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी, राजस्थान राज्य वैदिक सेवा अभिलेख में दर्ज हेतु पत्रिका के लिए ई से अधिक संतान होने के आधार पर नियोजन की विधि दिनांक 22.06.2024 तथा निम्न न्यायालयों एवं जिला निधिक सेवा अधिकारियों में दर्ज हेतु उक्त विधि दिनांक 01.06.2002 लागू होगी।
21	परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम (Scheme & Syllabus of Examination) :- कार्यालय बजलसी/समस्तुला पट्टी पर चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा किया जाएगा, जिसमें

09.06.2024

	लिखित परीक्षा और साक्षात्कार सम्मिलित है, जो कि कुल 85 और 15 अंक होंगे। (2) सामान्य लिखित परीक्षा 2 घण्टे अवधि की होगी, जिसमें मैट्रिकुलेशन मानक (matriculation Standard) के प्रस्तुत प्रश्न-पत्रिका-सीधे प्रश्न निम्नलिखित विषयों के होंगे - (क) सामान्य हिन्दी (ख) सामान्य अंग्रेजी (ग) राज्यप्राप्त सस्युटी एवं बोलिया (3) लिखित परीक्षा में कुल 80 अंक (प्रत्येक प्रश्न हेतु 1 अंक) होंगे जिनमें सामान्य हिन्दी, सामान्य अंग्रेजी व राज्यप्राप्त सस्युटी एवं बोलिया हेतु क्रमशः 50, 10 एवं 20 अंक होंगे। परीक्षा उत्तर हेतु कोई मध्यस्थता प्रदान नहीं होगी। (4) लिखित परीक्षा का प्रश्नपत्र, उत्तर पत्रक के माध्यम से आगोष्ठित की जाएगी। (5) लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर, कुल रिक्तियों (प्रयोगवार) के तीन गुना अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। स्पर्धालय- साक्षात्कार हेतु अर्हता प्राप्त करने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग, दिव्यांग अभ्यर्थियों और भूतपूर्व-सैनिकों को लिखित परीक्षा में न्यूनतम 34 अंक और अन्य वर्गों अभ्यर्थियों को न्यूनतम 30 अंक प्राप्त करने होंगे। भूतपूर्व सैनिकों को अनुसूचितता के मामले में न्यूनतम अंक में 5 प्रतिशत की अतिरिक्त विशेषता प्रदान की जाएगी; लिखित परीक्षा में स्थान अव. हासिल करने वाले अभ्यर्थियों के मामले में आयु में बड़े अभ्यर्थी को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। (6) साक्षात्कार समीक्षार की समय उपयुक्तता को आकलित करने के उद्देश्य से होगी। (7) साक्षात्कार में उपस्थित नहीं होने की दशा में, अभ्यर्थी की नियुक्ति हेतु अनुमति नहीं दी जा सकेगी। (8) चयन के लिए लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अंतिम चयन हेतु अर्हता प्राप्त करने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग, दिव्यांग अभ्यर्थियों और भूतपूर्व सैनिकों को कुल अंक (लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार) में न्यूनतम 40 अंक और अन्य वर्गों अभ्यर्थियों को न्यूनतम 45 अंक प्राप्त करने होंगे। भूतपूर्व सैनिकों को अनुसूचितता के मामले में न्यूनतम अंक में 5 प्रतिशत की अतिरिक्त विशेषता प्रदान की जाएगी। साक्षात्कार-लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में सम्मिलित कुल अंक प्राप्त करने अभ्यर्थियों के मामले में साक्षात्कार में अधिक अंक लाने वाले अभ्यर्थी को प्राथमता दी जाएगी। साक्षात्कार में भी स्थान अव. हासिल करने वाले अभ्यर्थियों के मामले में आयु में बड़े अभ्यर्थी को प्राथमता दी जाएगी।
22	आवेदन सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्देश (Important Instructions to Apply):- - कोई भी आवेदक जिस श्रेणी (Category) के अन्तर्गत आवेदन करने का मान्य है वह उसी श्रेणी (Category) में ही आवेदन करे। आवेदन पत्र में गरी गयी श्रेणी (Category) आवेदक की प्रार्थना पर किसी भी परिस्थिति में परिवर्तित नहीं की जाएगी। - आवेदक ऑनलाईन आवेदन करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि वह निम्नलिखित में उल्लिखित सभी व सुसंगत विवरणों को आवेदन पत्रिका की समस्त शर्तें पूरी करता है तथा ऑनलाईन आवेदन पत्र में आवश्यक सम्स्त सूचनाएँ सम्बन्धित जगहों में सही एवं पूर्ण रूप से पूरी की हैं। ऑनलाईन आवेदन पत्र में गरी गई सूचना जो हो सही पत्र हेतु परीक्षा में अन्तिम (Provisional) रूप से प्रयोग दिया जाएगा। अन्तिम ऑनलाईन आवेदन-पत्र में गरी गयी सूचनाओं के लिए आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा। - ऑनलाईन आवेदन को अन्तिम दिनांक तक गरी जाने वाले आवेदन ही स्वीकार किये जाएंगे। सम्स्त प्रविष्टियाँ पूर्ण एवं सही नहीं होने की स्थिति में सम्बन्धित उच्च न्यायालय द्वारा आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा। - एक बार अन्तिम रूप से ऑनलाईन आवेदन में प्रविष्टि की गयी संबंधित में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा और न ही इस सम्बन्ध में कोई प्रार्थना-पत्र दिवसार्थ प्रेषण किया जाएगा। - आवेदक ऑनलाईन आवेदन भरने समय अपना नवीनतम फोटोग्राफ ही अपलोड करे। इसका अतिरिक्त फोटो को रीस फोटोयुक्त पहचान-पत्र (मोटर कार्ड, पैन कार्ड, हाईवेिंग लाइसेंस, पासपोर्ट एवं आधार कार्ड में से कोई भी एक) भी अपलोड करना होगा जिस पर अंकित फोटोग्राफ, आवेदन पत्र में अपलोड किए गए फोटोग्राफ एवं

05.06.2025

	स्वयं आवेदन के सङ्ग्रह हो तब लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के समय भी वहीं मूल जस्तासूक्त पहचान-पत्र साथ लेकर आना आवश्यक होगा।
23.	प्रवेश-पत्र (Admission Card) :- राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रवेश-पत्र अधिकृत वेबसाईट पर Upload किए जाएंगे तथा डाक से कोई प्रवेश-पत्र नहीं भेजा जाएगा। परीक्षा की तिथि घोषित होने के उपरान्त अभ्यर्थियों को प्रवेश-पत्र Upload किए जाने की सूचना अधिकृत वेबसाईट पर प्रसारित की जाएगी। आवेदक अपने (i) User Name एवं (ii) Password एवं (iii) Captcha Code के आधार पर अपना प्रवेश-पत्र वेबसाईट से Download कर सकेंगे।
24.	अनापत्ति प्रमाण-पत्र (No Objection Certificate):- राजस्थान उच्च न्यायालय सचिवों, जिला परिषदों या सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों/निगमों के कार्यकर्ताओं के सम्बन्ध में अधिवक्ताई हैसियत से सेवानिवृत्त व्यक्तियों को आवेदन करने से पूर्व ही अपने निष्पक्ष को लिखित में सुरित कर इस परीक्षा के लिए आवेदन करने की अनुमति प्राप्त कर लेनी चाहिए। यदि नियोजन द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय में आवेदन द्वारा अनुमति नहीं मिले जाने अथवा आवेदन को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दिये जाने के बारे में सूचित किया जाता है तो आवेदक की अनापत्ति (Candidature) तुरन्त प्रभाव से किसी भी स्तर पर रह जी जा सकती है।
25.	अन्य महत्वपूर्ण निर्देश (Other Important Instructions):- - लिखित परीक्षा आयोजित किए जाने के पश्चात् प्रश्न-पत्र की आदर्श उत्तर कुंजी (Model Answer Key) राजस्थान उच्च न्यायालय की अधिकृत वेबसाईट http://www.hcraj.nic.in पर प्रकाशित की जाएगी। इस प्रकार प्रकाशित की गयी आदर्श उत्तर कुंजी (Model Answer Key) के संदर्भ में अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन अपetiग प्रति प्रश्न 100/- रुपये शुल्क का ऑनलाइन भुगतान कर राजस्थान उच्च न्यायालय को निर्धारित समयबद्ध में लिखित शीत से प्रस्तुत की जा सकती। एक बार भुगतान की गई शुल्क रशि उल्टाई नहीं जाएगी। निर्धारित समयबद्ध के पश्चात् प्राप्त होने वाली अथवा किसी अन्य माध्यम अथवा निर्धारित शुल्क तब तक भुगतान किए बिना प्रस्तुत किसी भी आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। उक्तानुसार प्राप्त होने वाली आपत्तियों पर सचिव सचिवालय द्वारा विचार एवं आवश्यकता होने पर पुनरीक्षित उत्तर कुंजी प्रकाशित की जा सकती है तथा इसके साथ ही लिखित परीक्षा का परिणाम भी घोषित किया जा सकता है। - राजस्थान सूचना का अधिकार (राजस्थान उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय) नियम, 2006 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र पर इस भर्ती से संबंधित वांछित सूचना, गती प्रक्रिया के सम्पन्नकाल के दौरान प्रदान नहीं की जा सकती। गती प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् वांछित सूचना नियमानुसार प्रदान की जा सकती। अन्तिम परिणाम (Final Result) घोषित किए जाने की दिनांक से 6 माह की अवधि में प्रस्तुत किए गए आवेदन पर ही सूचना नियमानुसार प्रदान की जा सकती। अन्तिम परिणाम घोषित किए जाने के 6 माह पश्चात् प्रस्तुत किए गए आवेदन पर कोई सूचना प्रदान नहीं की जाएगी। - अभ्यर्थियों का सभी संबंधित मूल दस्तावेज/प्रमाण-पत्र, जिनके आधार पर वे किसी भी प्रकार का दावा (claim) करने हैं राजस्थान उच्च न्यायालय अथवा संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा मांगे जाने पर (on being required) प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे। - किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए किसी भी प्रकार का पत्र भेजा/भेजना मत देना लही होगा। - प्रतियोगी परीक्षा का परीक्षण राजस्थान उच्च न्यायालय की अधिकृत वेबसाईट http://www.hcraj.nic.in पर अपलोड करके उपस्थित किया जाएगा। किसी भी अभ्यर्थी को व्यक्तिगत रूप से संप्रेषित नहीं किया जाएगा। - कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा-कक्ष/परीक्षा-केन्द्र के परिसर में मोबाईल फोन, स्मार्टवॉच, कैलकुलेटर, स्मार्ट वॉच एवं अन्य कोई संचार यंत्र (any other electronic/communication devices), परी. घरेलू/युक्ती वस्तु या कोई दृष्टिकार इत्यादि अपने साथ लेकर नहीं आये। ऐसी किसी वस्तु या अन्य किसी भी आपत्तिजनक सामग्री के साथ परीक्षा कक्ष/परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसी किसी वस्तु की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी परीक्षा केन्द्राधीनक/संचालक व राजस्थान

05.06.2025

	उच्च न्यायालय की नहीं होगी। 7. परीक्षार्थी अपने साथ परीक्षा में उपयोग के लिए आवश्यक वस्तुएँ, जैसे पेन, पेसिल, प्रवेश-पत्र या राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित एवं अनुज्ञेय सामग्री ही परिसर/कक्ष में ले जा सकता है। 8. परीक्षार्थियों को राजस्थान उच्च न्यायालय/केन्द्राधीन/वीथक/राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त/अधिकृत अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा दिये गये निर्देशों की अनिवार्यता पालना करनी होगी। इन अनुदेशों का उल्लंघन किए जाने पर सम्बन्धित अभ्यर्थी को निरुद्ध मविष्य में होने वाली परीक्षा में बैठने पर रोक सहित समुचित विधिक एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। 9. ऐसे आवेदन, जिनके द्वारा अन्तिम दिनांक तक ऑनलाईन आवेदन कर सम्पन्न पूर्वक परीक्षा शुरू हो चुका हो, उन्हें भी राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अनन्तिम (Final) रूप से परीक्षा में बैठने दिया जाएगा। किन्तु आवेदक को परीक्षा में बैठने के लिए केन्द्र में प्रवेश-पत्र जारी कर दिया जाना चाहिए यह अनिवार्य नहीं होगा कि राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा उसकी अपरिणति अन्तिम (Final) रूप से सही मान ली गई है अथवा आवेदक द्वारा आवेदन-पत्र में जो गयी त्रुटियाँ सही कर ली गई हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा आवेदन की त्रुटि त्रुटि से त्रुटि निवारणानुसार पात्रता की जांच करने समय यदि आधुनिक शैक्षणिक योग्यता तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/अशिक्षित स्त्री/अपजोड वर्ग/विधवा/अन्य/भूतपूर्व सैनिक/उत्कृष्ट खिलाड़ी/महिला/विधवा/विधिवत विवाह महिला आदि के रूप में पात्रता की अन्य आवश्यक शर्तों का पूरा नहीं करने के आधार पर उसकी अपात्रता का जना चला जाता है तो इस परीक्षा हेतु उसकी अर्जितता (Candidature) किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है, निरुद्ध उत्तरदायित्व साथ आवेदक का होगा। 10. राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा परीक्षा हेतु किसी भी प्रकार की माई-दुक अथि या अनुमोदन नहीं किया गया है, न ही शिष्य ने किया जाएगा। 11. सेवा में नियुक्ति पर अभ्यर्थियों का नियमानुसार परीक्षा काल पर रखा जाएगा। 12. अन्य नियमानुसार देव होगी।
26	श्रुत लेखक (Scribe) की सुविधा:- सामान्यतया सभी परीक्षार्थियों को प्रश्न-पत्र पर स्वयं अपने हाथ से लिखने होंगे। इस शर्त में ऐसे दिव्यांगजन या श्रुतलेखक की सुविधा चाहते हैं, उन्हें लिखित परीक्षा आयोजित किए जाने की दिनांक से 15 दिन पूर्व तक प्राथमिक पत्र अर्जित प्रमाण-पत्र सहित राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। अद्यतन दुर्घटनाग्रस्त लेखन करने से असाई कर से असमर्थ हुए परीक्षार्थी को यह सुविधा देय नहीं होगी।
27	अनियमित या अनुचित साधनों द्वारा नियोजन (Employment of irregular or Improper Means) - कोई अभ्यर्थी, जो प्रतिस्पर्धा करने का या बनावटी प्रतियोगिता जीतने का उद्देश्य है, प्रस्तुत करने का या ऐन कथन करने का या सही नहीं है या मिथ्या है या महत्वपूर्ण सूचना छिपाने का या परीक्षा या साक्षात्कार में अनुचित साधनों का प्रयोग करने या उनका प्रयोग करने का प्रयत्न करने या परीक्षा में प्रवेश पत्र या साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए किसी भी प्रकार के अन्य अनियमित या अनुचित साधन, काम में लाने या किसी भी तरह से अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सम्बंध प्राप्त करने का प्रयास का दोषी है या नियुक्ति प्राधिकारी/भरती अधिकारी द्वारा दंडी घोषित किया गया है तो, स्वयं को आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी बनाने के अतिरिक्त, स्वयं का या किसी प्सेनोटाईट कालाचरि के लिए विचारित किया जाएगा - (a) नियुक्ति प्राधिकारी/भरती प्राधिकारी द्वारा जैसे भी स्थिति हो अभ्यर्थियों के चयन के लिए आयोजित किसी परीक्षा में सम्मिलित होने या साक्षात्कार में उपस्थित होने से अथवा (b) सरकार द्वारा सरकार के अधीन नियोजन में
28	अनुचित साधनों के प्रयोग की रोकथाम (Prevention of use of Unfair Means) - परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर राजस्थान उच्च न्यायालय उसकी निरुद्ध समुचित कार्रवाई कर सकता है निम्न

05.06.2022

	परीक्षार्थी के वैशुद्ध राजस्थान राजनितिक परीक्षा में अधिक साधनों की संख्या के अध्यापन (संयोजन) अधिनियम, 2023 के अंतर्गत 'बैथिक प्रक्रिया' के अंतर्गत अनुचित कानूनी कार्रवाई किया जाना भी संभवित है।
29.	समाचार (Canvassing) — निर्वाचन के अंतर्गत अधिकांश के अधिकांश निर्वाचन के लिए किसी प्रकार की लिखित या मौखिक संप्रेषण पर विचार नहीं किया जाएगा। अधिकांश द्वारा अपने पास में सम्बंध प्राप्त करने के लिए किसी भी तरह से किया गया प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रयत्न उसे गती के लिए निरर्थक कर लगेगा।
30.	हैल्प लाइन (Help Line) :- ऑनलाइन आवेदन व परीक्षा सम्बन्धित समस्याओं के निवारण एवं जानकारी हेतु हैल्प लाइन (Help Line) नम्बर 0291-2888100 एवं 2850100 पर कार्यालय समय के दौरान (During Office Hours) सम्पर्क करें।
31.	वेबसाइट (Website):- राजस्थान उच्च न्यायालय की अधिकृत वेबसाइट : www.hcrsaj.nic.in नोट— उक्त गती प्रक्रिया के सम्बन्ध में आवश्यकता होने पर प्रतिवेदन/प्रार्थना पत्र राजस्वदार (परीक्षा), राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर को सम्बोधित कर प्रेषित किया जाए। राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा ई मेल से प्रेषित किसी भी प्रतिवेदन/प्रार्थना पत्र आदि को विचार में नहीं लिया जाएगा।

05.06.2023
राजस्वदार (परीक्षा)

(संलग्नक – 1)

Class -IV Employees in Rajasthan High Court

राजस्थान उच्च न्यायालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण के रिक्त पदों की संख्या एवं आरक्षण का विवरण

S.NO.	NAME OF Institution	TOTAL VACAN CIES	UNRESERVED					Total Gen	EWS					Total EWS	SC					Total SC	ST					Total ST	OBC					Total OBC	MBC					Total MBC	HORIZONTAL RESERVATION					Total
			UR	F	W	D	Ex-Ser		EW S	F	W	D	Ex-Ser		SC	F	W	D	Ex-Ser		ST	F	W	D	Ex-Ser		OBC	F	W	D	Ex-Ser		M BC	F	W	D	Ex-Ser		PwBD				OSP	
																																							B/LV	D/HH	LD	AUT/ MD		
1	Rajasthan High Court	244	50	19	6	1	13	89	14	6	1	0	3	24	23	9	2	0	5	39	17	7	1	0	4	29	29	10	4	1	7	51	8	3	0	0	1	12	3	3	2	2	4	14
	Total	244	50	19	6	1	13	89	14	6	1	0	3	24	23	9	2	0	5	39	17	7	1	0	4	29	29	10	4	1	7	51	8	3	0	0	1	12	3	3	2	2	4	14

(संलग्नक – 2)

Class -IV Employees in Rajasthan State Judicial Academy, Jodhpur

राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी, जोधपुर में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण के रिक्त पदों की संख्या एवं आरक्षण का विवरण

S.NO.	NAME OF Institution	TOTAL VACAN CIES	UNRESERVED					Total Gen	EWS					Total EWS	SC					Total SC	ST					Total ST	OBC					Total OBC	MBC					Total MBC	HORIZONTAL RESERVATION					Total								
			UR	F	W	D	Ex-Ser		EW S	F	W	D	Ex-Ser		SC	F	W	D	Ex-Ser		ST	F	W	D	Ex-Ser		OBC	F	W	D	Ex-Ser		M BC	F	W	D	Ex-Ser		PwBD				OSP									
																																							B/LV	D/HH	LD	AUT/ MD										
1	RSJA	18	6	2	1	0	1	10	1	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1								
	Total	18	6	2	1	0	1	10	1	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1								

- F - Female (महिला)
- D - Divorcee Woman (विच्छिन्न विवाह महिला)
- W - Widow (विधवा)
- PwBD - Persons with Benchmark Disabilities (दिव्यांगजन)
- B/LV - Blind & Low Vision (अन्धता और निम्न दृश्यता)
- D/HH - Deaf & Hard of Hearing (बधिर और जिन्हें सुनने में कठिनाई होती है)
- LD - Locomotor Disability (चलन दिव्यांगता, जिसके अन्तर्गत परा मस्तिष्क घात, ठीक किया गया कुष्ठ, बौनापन, अम्ल हमले के पीड़ित और पेशीय दुर्विकार हैं)
- AUT - Autism (ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, सीखने में विशिष्ट दिव्यांगता और मानसिक रोग)
- MD - Multiple Disabilities (उक्त दिव्यांगताओं से युक्त व्यक्तियों में से बहु दिव्यांगता, जिसके अन्तर्गत बधिर-अन्धता है)
- UR - Un-Reserved (अनारक्षित)
- SC - Schedule Caste (अनुसूचित जाति)
- ST - Schedule Tribes (अनुसूचित जनजाति)
- OBC - Other Backward Classes (अन्य पिछड़ा वर्ग)
- MBC - More Backward Classes (अति पिछड़ा वर्ग)
- EWS - Economically Weaker Section (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग)
- OSP - Outstanding Sports Person (उत्कृष्ट खिलाड़ी)
- Ex Ser. - Ex-Servicemen (भूतपूर्व सैनिक)

Class -IV Employees in Rajasthan State Legal Service Authority, Jaipur

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण के रिक्त पदों की संख्या एवं आरक्षण का विवरण

S.NO.	NAME OF Institution	TOTAL VACAN CIES	UNRESERVED					Total Gen	EWS					Total EWS	SC					Total SC	ST					Total ST	OBC					Total OBC	MBC					Total MBC	HORIZONTAL RESERVATION					Total				
			UR	F	W	D	Ex-Ser		EW S	F	W	D	Ex-Ser		SC	F	W	D	Ex-Ser		ST	F	W	D	Ex-Ser		OBC	F	W	D	Ex-Ser		M BC	F	W	D	Ex-Ser		PwBD				OSP					
																																							B/LV	D/HH	LD	AUT/ MD						
1	RLSLA	16	5	2	1	0	0	8	1	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Total	16	5	2	1	0	0	8	1	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

- F - Female (महिला)
- D - Divorcee Woman (विच्छिन्न विवाह महिला)
- W - Widow (विधवा)
- PwBD - Persons with Benchmark Disabilities (दिव्यांगजन)
- B/LV - Blind & Low Vision (अन्धता और निम्न दृश्यता)
- D/HH - Deaf & Hard of Hearing (बधिर और जिन्हें सुनने में कठिनाई होती है)
- LD - Locomotor Disability (चलन दिव्यांगता, जिसके अन्तर्गत परा मस्तिष्क घात, ठीक किया गया कुष्ठ, बौनापन, अम्ल हमले के पीड़ित और पेशीय दुर्विकार है)
- AUT - Autism (ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, सीखने में विशिष्ट दिव्यांगता और मानसिक रोग)
- MD - Multiple Disabilities (उक्त दिव्यांगताओं से युक्त व्यक्तियों में से बहु दिव्यांगता, जिसके अन्तर्गत बधिर-अन्धता है)
- UR - Un-Reserved (अनारक्षित)
- SC - Schedule Caste (अनुसूचित जाति)
- ST - Schedule Tribes (अनुसूचित जनजाति)
- OBC - Other Backward Classes (अन्य पिछड़ा वर्ग)
- MBC - More Backward Classes (अति पिछड़ा वर्ग)
- EWS - Economically Weaker Section (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग)
- OSP - Outstanding Sports Person (उत्कृष्ट खिलाड़ी)
- Ex Ser. - Ex-Servicemen (भूतपूर्व सैनिक)

गौर अनसूचित क्षेत्र - जिला न्यायालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण के रिक्त पदों की संख्या एवं आरक्षण का वितरण (जिला-न्यायक्षेत्र वार एवं वर्गवार)

	TOTAL	UNRESERVED		EWS		Sahariva Tribe		SC		ST		OBC		MBC		HORIZONTAL RESERVATION	
--	-------	------------	--	-----	--	----------------	--	----	--	----	--	-----	--	-----	--	------------------------	--

S.NO.	NAME OF JUDGESHIP	TOTAL VACANCIES						Total Gen	EW					Total EWS	Sa					Total Sahar iya	SC						Total SC	ST					Total ST						Total OBC						Total MBC	PwBD					Total	Total I
			UR	F	W	D	Ex-Ser		S	F	W	D	Ex-Ser		h.	F	W	D	Ex-Ser			ST	F	W	D	Ex-Ser		OBC	F	W	D	Ex-Ser		MBC	F	W	D	Ex-Ser		B/LV	D/HH	LD	AUT/MD	OSP								
1	AJMER	293	69	25	9	3	18	124	17	6	2	0	4	29									25	9	3	1	6	44	21	7	2	1	5	36	26	10	3	1	6	46	8	3	1	0	2	14	3	2	2	4	5	16
2	ALWAR	373	76	28	11	2	20	137	21	8	3	0	5	37									34	12	4	1	8	59	25	9	4	0	6	44	44	16	6	1	11	78	11	4	1	0	2	18	3	3	3	5	7	21
3	BALOTRA	161	39	14	5	1	10	69	8	3	1	0	2	14									14	5	1	0	3	23	10	4	1	0	2	17	18	7	2	0	4	31	4	2	0	0	1	7	2	2	1	1	3	9
4	BARAN	114	25	9	4	0	6	44	7	2	1	0	1	11	16	6	2	0	4	28			6	2	0	0	1	9	5	1	0	0	0	6	7	2	1	0	1	11	4	1	0	0	0	5	1	1	0	0	0	2
5	BHARATPUR	222	44	15	5	3	12	79	13	5	2	0	3	23									20	7	3	1	5	36	14	5	2	1	4	26	26	9	4	1	7	47	6	2	1	0	2	11	2	2	2	2	4	12
6	BHILWARA	170	33	15	4	0	10	62	7	5	2	0	3	17									17	4	1	0	4	26	12	3	1	2	3	21	19	5	6	1	5	36	4	3	0	0	1	8	2	2	2	1	3	10
7	BIKANER	145	33	15	1	0	6	55	10	5	0	0	2	17									12	6	0	0	2	20	11	5	0	0	2	18	16	7	1	0	3	27	5	2	0	0	1	8	2	2	1	1	3	9
8	BUNDI	101	24	9	3	1	6	43	6	3	0	0	1	10									10	4	0	0	2	16	7	3	0	0	2	12	9	4	0	0	2	15	4	1	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
9	CHITTORGARH	227	73	13	6	1	10	103	9	3	2	0	3	17									23	5	2	1	4	35	18	4	2	0	3	27	20	8	2	1	6	37	5	1	1	0	1	8	2	2	2	1	4	11
10	CHURU	107	21	10	3	1	6	41	6	2	1	0	2	11									10	3	1	0	2	16	8	2	1	0	2	13	12	4	1	1	3	21	3	1	0	0	1	5	1	1	1	1	2	6
11	DAUSA	97	22	8	3	1	6	40	5	2	1	0	1	9									10	4	1	0	3	18	3	2	0	0	1	6	10	4	1	0	3	18	3	2	0	0	1	6	1	1	1	1	2	

अनुसूचित क्षेत्र (TSP Areas) (Class-IV-2025 in District Court)

अनुसूचित क्षेत्र – जिला न्यायालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण के रिक्त पदों की संख्या एवं आरक्षण का विवरण (जिला–न्यायक्षेत्र वार एवं वर्गवार)

S.NO.	NAME OF JUDGESHIP	TOTAL VACANCIES	UNRESERVED					Total Gen	EWS					Total EWS	SC					Total SC	ST					Total ST	OBC					Total OBC	MBC					Total MBC	HORIZONTAL RESERVATION					Total	
			UR	F	W	D	Ex-Ser		EW S	F	W	D	Ex-Ser		SC	F	W	D	Ex-Ser		ST	F	W	D	Ex-Ser		OB C	F	W	D	Ex-Ser		M BC	F	W	D	Ex-Ser		PwBD				OSP		
																																							B/L V	D/H H	LD	AUT/ MD			
1	ABU ROAD BLOCK (SIROHI)	8	3	1	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2	PRATAPGARH	57	20	6	2	0	0	28	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3	19	5	2	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	BANSWARA	71	20	7	2	1	6	36	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	18	7	3	0	5	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	3
4	DUNGARPUR	59	21	6	2	0	0	29	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3	19	6	2	0	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	UDAIPUR	42	12	4	2	0	3	21	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	11	3	2	0	3	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	Total	237	76	24	8	1	9	118	0	0	0	0	0	0	11	3	0	0	0	14	67	21	9	0	8	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	1	4	

नोट:— निम्न पदों की तालिकाओं में प्रयुक्त संक्षिप्त शब्द—रूपों की वृहद् शब्दावली

F - Female (महिला)

D - Divorcee Woman (विच्छिन्न विवाह महिला)

W - Widow (विधवा)

PwBD - Persons with Benchmark Disabilities (दिव्यांगजन)

B/LV - Blind & Low Vision (अन्धता और निम्न दृश्यता)

D/HH - Deaf & Hard of Hearing (बधिर और जिन्हें सुनने में कठिनाई होती है)

LD - Locomotor Disability (चलन दिव्यांगता, जिसके अन्तर्गत परा मस्तिष्क घात, ठीक किया गया कुष्ठ, बौनापन, अम्ल हमले के पीड़ित और पेशीय दुर्विकार है)

AUT - Autism (ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, सीखने में विशिष्ट दिव्यांगता और मानसिक रोग)

MD - Multiple Disabilities (उक्त दिव्यांगताओं से युक्त व्यक्तियों में से बहु दिव्यांगता, जिसके अन्तर्गत बधिर—अन्धता है)

UR - Un-Reserved (अनारक्षित)

SC - Schedule Caste (अनुसूचित जाति)

ST - Schedule Tribes (अनुसूचित जनजाति)

OBC - Other Backward Classes (अन्य पिछड़ा वर्ग)

MBC - More Backward Classes (अति पिछड़ा वर्ग)

EWS - Economically Weaker Section (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग)

OSP - Outstanding Sports Person (उत्कृष्ट खिलाड़ी)

ExSer - Ex-Servicemen (भूतपूर्व सैनिक)

गैर अनुसूचित क्षेत्र (NON TSP Areas) (Class-IV in DL&A+TLSC+PLA)
विवरण (जिला-न्यायक्षेत्र वार एवं वर्गवार)

S.NO.	NAME OF JUDGESHIP	TOTAL (DL&A+TL SC+PLA)	UNRESERVED					Total Gen	EWS					Total EWS	SC					Total SC	ST					Total ST	OBC					Total OBC	MBC					Total MBC	HORIZONTAL RESERVATION					Total I	
			UR	F	W	D	Ex-Ser		EWS	F	W	D	Ex-Ser		SC	F	W	D	Ex-Ser		ST	F	W	D	Ex-Ser		OBC	F	W	D	Ex-Ser		MBC	F	W	D	Ex-Ser		PD						
																																							B/LV	D/HH	LD	AUT/MD	OSP		
1	AJMER	13	6	1	0	0	0	7	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	2	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	ALWAR	15	3	2	1	0	2	8	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	2	1	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	BALOTRA	8	5	1	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	BARAN	11	4	2	0	0	1	7	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	BHARATPUR	13	6	1	0	0	0	7	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	2	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	BHILWARA	15	4	2	0	0	2	8	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	2	1	0	0	0	0	1	2	0	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	BIKANER	11	3	2	0	0	1	6	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	BUNDI	10	4	1	1	0	0	6	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	CHITTORGARH	14	6	0	0	0	2	8	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	2	1	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	CHURU	11	4	2	0	0	0	6	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	DAUSA	10	4	2	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	DHOLPUR	8	4	1	0	0	1	6	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	HANUMANGARH	12	3	2	1	0	1	7	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	JAIPUR METRO-I	8	4	1	0	0	1	6	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	JAIPUR METRO-II	3	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	JAIPUR DISTRICT	12	3	2	1	0	1	7	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	JAISALMER	5	3	1	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	JALORE	7	3	1	0	0	1	5	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
19	JHALAWAR	11	5	1	0	0	0	6	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	JHUNJHUNU	9	4	1	0	0	1	6	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	JODHPUR METRO	6	4	1	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	JODHPUR DISTRICT	10	5	1	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	KARALI	7	3	2	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	KOTA	11	5	1	0	0	0	6	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	MERTA	15	6	2	0	0	0	8	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	2	1	0	0	0	0	1	2	0	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	PALI	13	6	1	0	0	0	7	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	RAJSAMAND	10	5	1	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
28	SAWAI MADHOPUR	8	6	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	SIKAR	12	4	1	1	0	1	7	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	SIROHI	11	5	1	0	0	0	6	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	SRI GANGANAGAR	14	5	2	0	0	1	8	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	TONK	9	4	1	0	0	1	6	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	UDAIPUR	16	5	2	0	0	2	9	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	2	1	0	0	0	0	1	2	0	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	348	144	42	5	0	19	210	18	0	0	0	0	18	19	14	1	0	4	38	25	0	0	0	0	25	36	10	11	0	0	57	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2

अनुसूचित क्षेत्र (TSP Areas) (Class-IV-2025 in DLSA+TLSC+PLA)

अनुसूचित क्षेत्र – जिला वाधक सेवा प्राधकरण (स्थाया लाक अदालता एव तालुका वाधक सेवा साहत) म चतुथ श्रणा कमचारागण क ारक्त पदा का सख्या एव आरक्षण का विवरण (जिला–न्यायक्षेत्र वार एवं वर्गवार)

S.NO.	NAME OF JUDGESHIP	TOTAL VACANCIES	UNRESERVED					Total Gen	EWS					Total EWS	SC					Total SC	ST					Total ST	OBC					Total OBC	MBC					Total MBC	HORIZONTAL RESERVATION					Total	
			UR	F	W	D	Ex-Ser		EW S	F	W	D	Ex-Ser		SC	F	W	D	Ex-Ser		ST	F	W	D	Ex-Ser		OBC	F	W	D	Ex-Ser		M BC	F	W	D	Ex-Ser		PwBD				OSP		
1	ABU ROAD BLOCK (SIROHI)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	PRATAPGARH	8	4	1	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	BANSWARA	8	4	1	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	DUNGARPUR	7	3	1	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	23	11	3	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

नोट:– निम्न पदों की तालिकाओं में प्रयुक्त संक्षिप्त शब्द–रूपों की वृहद् शब्दावली

F - Female (महिला)

D - Divorcee Woman (विच्छिन्न विवाह महिला)

W - Widow (विधवा)

PwBD - Persons with Benchmark Disabilities (दिव्यांगजन)

B/LV - Blind & Low Vision (अन्धता और निम्न दृश्यता)

D/HH - Deaf & Hard of Hearing (बधिर और जिन्हें सुनने में कठिनाई होती है)

LD - Locomotor Disability (चलन दिव्यांगता, जिसके अन्तर्गत परा मस्तिष्क घात, ठीक किया गया कुष्ठ, बौनापन, अम्ल हमले के पीड़ित और पेशीय दुर्विकार है)

AUT - Autism (ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, सीखने में विशिष्ट दिव्यांगता और मानसिक रोग)

MD - Multiple Disabilities (उक्त दिव्यांगताओं से युक्त व्यक्तियों में से बहु दिव्यांगता, जिसके अन्तर्गत बधिर–अन्धता है)

UR - Un-Reserved (अनारक्षित)

SC - Schedule Caste (अनुसूचित जाति)

ST - Schedule Tribes (अनुसूचित जनजाति)

OBC - Other Backward Classes (अन्य पिछड़ा वर्ग)

MBC - More Backward Classes (अति पिछड़ा वर्ग)

EWS - Economically Weaker Section (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग)

OSP - Outstanding Sports Person (उत्कृष्ट खिलाड़ी)

ES - Ex-Servicemen (भूतपूर्व सैनिक)